

23.04.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2002 / 00040

अपील संख्या 88 / 2005 (223)

उनवान:- नत्थी बनाम प्रताप वगै०

वकील अपीलांट को बार-बार आवाज दिलाई गई। कोई उप० नहीं। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है।

पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।